विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कलक्ट्रेट परिसर स्थित एक खोखा पान आदि मुख्य द्वार कलक्ट्रेट धर्मशाला के पास एवं साईकिल स्टैण्ड मुख्यद्वार कलक्ट्रेट मेरठ की नीलामी हेतु दिनांक 13–08–2021 नियत की जाती हैं। नीलामीं की कार्यवाही प्रभारी अधिकारी(नजारत) कलक्ट्रेट मेरठ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दोपहर 11.00 बजे नजारत अनुभाग में कराई जायेगी । नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता को अंकन–15,000–00(पन्द्रह हजार) रूपये बोली से पूर्व धरोहर धनराशि के रूप में जमा करने पर ही नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी। बिना किसी कारण बताये नीलामी को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार समिति को होगा। नीलामी की शर्तों के सम्बन्ध में इच्छुक व्यक्ति नजारत अनुभाग कलक्ट्रेट मेरठ में सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उक्त सूचना को **meerut.nic.in** पर भी देख सकते हैं।

प्रभारी अधिकारी(नजारत)
कलक्ट्रेट, मेरठ।

कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।
(नजारत–अनुभाग)

संख्या– 1062 /नाजिर सदर/नीलामी/2021–22 दिनांकः– 09-08-2021

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

1– आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2– जिलाधिकारी,मेरठ।
3– मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
4– नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ।
5– मुख्य कोषाधिकारी, मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त दिनांक को टेण्डर की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु किसी कोषाधिकारी को नामित कर उक्त टेण्डर की कार्यवाही में उपरोक्तानुसार प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
6– प्रभारी अधिकारी(नजारत) कलक्ट्रेट मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार टेण्डर की कार्यवाही में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। ।
7– प्रशासनिक अधिकारी, कलक्ट्रेट मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार टेण्डर की कार्यवाही में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।
8– उप निदेशक सूचना, मेरठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन समाचार पत्रों में निःशुल्क कराने का कष्ट करें।
9– सम्पादक, " अमर उजाला" एवं "दैनिक जागरण" समाचार पत्र मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन अपने समाचार पत्र में सूक्ष्म कॉलम में कराकर बिल नियमानुसार भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मेरठ को इस आशय से कि वह विज्ञप्ति को **meerut.nic.in** की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
11– तहसीलदार, मेरठ/मवाना/सरधना को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
12– नाजिर सदर, कलक्ट्रेट मेरठ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
13– सभी सार्वजनिक कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

प्रभारी अधिकारी(नजारत)
कलक्ट्रेट, मेरठ।